प्रेस विज्ञप्ति
16/10/2026

ईडी ने "डिजिटल अरेस्ट" साइबर धोखाधड़ी मामले में अभियोजन शिकायत दायर की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने "डिजिटल अरेस्ट" से जुड़े मामले में माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है।

ईडी की जाँच अहमदाबाद और मुंबई की साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज की गई अनेक प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई थी। इन मामलों में, सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों ने दो बुजुर्ग पीड़ितों से क्रमशः ₹1.15 करोड़ और ₹1.80 करोड़ की ठगी की। पीड़ितों को झूठी गिरफ्तारी की धमकी दी गई और उनसे एम/एस क्वालिटी फ्रूट ट्रेडर्स तथा एम/एस शिवम चैरिटेबल ट्रस्ट के म्यूल बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करने के लिए बाध्य किया गया।

ईडी की जाँच में पता चला है कि अपराध से अर्जित धनराशि को तत्काल 50 से अधिक म्यूल खातों के माध्यम से लेयरिंग करके भारत के विभिन्न स्थानों और दुबई में छोटी-छोटी राशियों में नकद निकाला गया। ये खाते आई4सी पोर्टल पर दर्ज 396 लंबित साइबर अपराध शिकायतों से जुड़े हुए हैं, जिससे पूरे भारत में अवैध गतिविधियों में इनके व्यापक उपयोग की पुष्टि होती है।

साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि का शोधन नकद निकासी के माध्यम से किया गया। इसके बाद इस धनराशि का उपयोग आंगड़िया माध्यमों के जरिए लेन-देन करने तथा क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने में किया गया, ताकि धनराशि के लेन-देन का पता लगाना और अधिक कठिन हो जाए। धन शोधन की इस कार्यप्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से में विभिन्न बीमा पॉलिसियों के भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया गया। जाँच में पता चला कि ₹30 लाख की धनराशि बीमा एजेंट से संबद्ध एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भेजी गई थी। यह क्रेडिट कार्ड किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया था, लेकिन इसका संचालन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। प्राप्त धनराशि का तत्काल उपयोग तीसरे पक्ष की बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया गया, जिससे अवैध धनराशि को प्रभावी रूप से वैध वित्तीय प्रणाली में समाहित कर दिया गया।

ईडी पहले ही आरोपित व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सूरत स्थित एक फ्लैट, जिसका मूल्य ₹30 लाख के बराबर है, तथा ₹8 लाख मूल्य की 03 सावधि जमाराशियों (एफडी) को कुर्क कर चुका है। यह मामला एक जटिल कार्यप्रणाली को दर्शाता है, जिसमें अपराध से अर्जित आय को छिपाने और वैध वित्तीय प्रणाली में समाहित करने के लिए साइबर अपराध, म्यूल खाते, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, नकद निकासी और क्रिप्टोकरेंसी का संयोजन किया गया।

2 बुजुर्ग पीड़ितों से **2.95** करोड़ रुपये की ठगी

30 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल पैसे को लेयर करने के लिए किया गया

396 साइबर अपराध की शिकायतें **I4**सी पोर्टल से जुड़ी हैं

38 लाख रुपये की संपत्ति पहले ही ईडी द्वारा जब्त

आगे की जाँच जारी है।